न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- अंशुल आमेरिया (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या :- 43/2019

उनवान

1. रामकिशोर,
2. रूपश्यामकिशोर,
3. शिवरतन किशोर,
4. ललित किशोर पि0 श्यामलाल जाति सांसी नि0 ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद

-- प्रार्थीगण :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद

-: अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955

-: आदेश :- दिनांक :- 4.1.23

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश का निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जाशुदा/काश्तकारी की है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

हाल खसरा नम्बर	रकबा	वर्किंग खसरा नम्बर	रकबा
2812	1.37	1221 मिन	1.00
		1232 मिन	0.37
2813	0.05	1231 मिन	0.05
2814	0.19	1231 मिन	0.19
2815	0.01	1232 मिन	0.01
2816	0.30	1231 [illegible]	0.30
2824	0.65	[illegible]	0.65
2839	9.44	1241 [illegible]	3.89
		1232 मिन	5.5[illegible]
2841	0.46	1243 मि[illegible]	0.4[illegible]

--2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपरोक्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 1221, 1223, 1231, 1232, 1241 बंजर भूमि के रूप में दर्ज है। खसरा नम्बर 1221 में गांव के अन्य व्यक्तियों के नाम आवंटन से खातेदारी दर्ज की गयी तथा शेष आराजी पर प्रार्थीगण पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2058, 2060, 2061, 2070 मे प्रार्थीगण व उनके पिता के नाम काश्त दर्ज है। प्रार्थीगण लगातार उक्त आराजी पर काबिज है तथा दिनांक 24.09.2003 को जिला कलक्टर अजमेर को नियमन का प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु प्रार्थीगण के नाम नियमन नही किया गया। अप्रार्थी बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रार्थीगण को आराजी मुतनाजा से बेदखल करने पर आमादा है। प्रार्थीगण आज भी भूमि पर काबिज काश्त है अतः धारा 19 एडवर्स पजेशन के तहत राजस्व अभिलेख में भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार प्रार्थीगण को घोषित किया जावे। मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

राज0 पैरोकर ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख में आरम्भ से ही सिवायचक दर्ज है तथा हाल राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी सिवायचक दर्ज है। वादीगण का उक्त आरजी पर कोई हक व अधिकार निहित नही है। भूमि वादी अथवा उसके पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज नही होकर सिवायचक दर्ज है। वादीगण ने सिवायचक आराजी पर निरन्तर कब्जे काश्त के आधार पर उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा है किन्तु कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण को सिवायचक आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। वादीगण का उक्त आराजी पर यदा–कदा अतिक्रमी के रूप में ही कब्जा काश्त रहा है। यदि वादीगण उक्त आराजी पर अपना कब्जा मानते है तो भी उन्हे नियमानुसार नियमन की कार्यवाही करनी चाहिये। अतः वादी खण्डित कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वाद सव्यय खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी हाल हाल राजस्व अभिलेख व पूर्व राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर यदा–कदा अतिक्रमी के रूप में कब्जा काश्त रहा है। तहसीलदार नसीराबाद ने भी उक्त आराजी पर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर बेदखली की कार्यवाही की है। आराजी मुजनाजा पूर्व राजस्व अभिलेख में भी प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज नही थी। भूमि पर प्रतिकूल कब्जे का तथ्य मूल वाद में गुणवगुण पर निर्णित होगा। भूमि आरम्भ से ही सिवायचक दर्ज है। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कोई विधिक अधिकार निहित नही है। सिवायचक भूमि पर तहसीलदार के विरूद्व बिना किसी ठोस कारण व्यादेश जारी करना न्यायोचित नही है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थीगण उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में असफल रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:23 IST
Reason: SelfAttested

2. **अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना** [illegible] का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी [illegible] यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। [illegible] में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण की खातेदारी की नही है। प्रार्थीगण उक्त आराजी पर प्रतिकूल कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी प्रापत करना चाहते है जो मूल वाद में साक्ष्य आदि से तय होगा। वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थीगण राजकीय भूमि पर अतिक्रमी है जिनको विधिक प्रकिया से बेदखल करना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को पाबंद नहीं किये जाने से प्रार्थीगण को क्या अपूरणीय क्षति की संभावना है यह प्रार्थीगण सिद्व करने में असफल रहे है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के विपक्ष में है। तद्नुसार सुविघा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थीगण सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम लोहरवाडा आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "**खारिज**" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:01:23 IST
Reason: SelfAttested